न्यायालय :– न्यायिक मजिस्ट्रेट, सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या /2026 राज्य बनाम मोतीलाल

एफ.आई.आर. संख्या 61/2026 थाना बपावरकलां जिला कोटा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	विवरण
27.05.2026	अभियोजन अधिकारी उपस्थित। अभियुक्त मोतीलाल उपस्थित। थानाधिकारी, पुलिस थाना बपावर कलां जिला कोटा की ओर से जरिये अभियोजन अधिकारी यह आरोप पत्र अभियुक्त **मोतीलाल पुत्र धन्नालाल, उम्र 55 साल, निवासी खडिया थाना बपावर कलां जिला कोटा** के विरूद्व अपराध 13 आरपीजीओ अधिनियम के तहत न्यायालय मे प्रस्तुत किया। अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता श्री जितेन्द्र कुमार सुमन ने अपना वकालतनामा पेश किया सलंग्न पत्रावली रहे। अधिवक्ता अभियुक्त को चालान की नकल दिलाई गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से अभियुक्त के विरूद्व धारा 13 आरपीजीओ अधिनियम के अपराध बाबत प्रथमदृष्टया पर्याप्त साक्ष्य मौजूद होने से अभियुक्त के विरूद्व अपराध अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ अधिनियम के अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाता है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर रफौ किया जावे। बहस आरोप सारांश सुनी गई। अभियुक्त के विरूद्व अपराध अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ अधिनियम का आरोप सारांश मौखिक सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोप को स्वेच्छा सही होना स्वीकार किया व जरिये अधिवक्ता प्रकरण मे स्वेच्छया जूर्म स्वीकारोक्ति का एक प्रार्थना–पत्र पेश कर स्वेच्छया अपना जूर्म स्वीकार करते हुए प्रकरण का आज ही निस्तारण करवाना चाहा। न्यायालय द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। चूंकि प्रकरण में अभियुक्त द्वारा स्वेच्छया आरोपित आरोप/अपराध स्वीकार किया गया है ऐसी स्थिति में अभियुक्त **मोतीलाल पुत्र धन्नालाल, उम्र 55 साल, निवासी खडिया थाना बपावर कलां जिला कोटा** को अपराध अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ	

Authenticated Document

अधिनियम के दोषी होने का अभिवाक् करने पर धारा **13 आर.पी.जी.ओ. अधिनियम** के अपराध में एतद्द्वारा दोषसिद्ध किया जाता है।

दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्त को सुना गया व पत्रावली का पुनः अवलोकन किया गया। अभियुक्त ने लोक अदालत की भावना को ध्यान में रखते हुऐ स्वेच्छया आरोपित अपराध स्वीकार किया है। अतः प्रकरण के सभी तथ्यों व परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अभियुक्त को दोषसिद्व अपराध में तुरन्त कारावास के दण्ड से दण्डित किये जाने की बजाय अभियुक्त को धारा 3 परिविक्षा अधिनियम के प्रावधान के तहत लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव् अभियुक्त **मोतीलाल पुत्र धन्नालाल, उम्र 55 साल, निवासी खडिया थाना बपावर कलां जिला कोटा** के विरूद्व अपराध अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ अधिनियम के स्वेच्छया जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर अपराध अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओ अधिनियम के आरोप में दोषसिद्व किया जाकर अभियुक्त को परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3 के तहत् सम्यक भर्त्सना के पश्चात् छोड़ा जाता है। साथ अभियुक्त को परिवीक्षा अधिनियम की धारा 5(1) के तहत रूपये **200/–** अभियोजन व्यय जमा कराने का आदेश दिया जाता है।

आदेशानुसार अभियुक्त ने अभियोजन व्यय की राशि कुलिया 200/–रू रसीद संख्या.....जमा न्यायालय हुई। अभियुक्त को परिवीक्षा पर छोडा गया।

प्रकरण मे जब्तशुदा माल मुताबिक फर्द जब्ती बाद गुजरने मियाद अपील/रीविजन नियमानुसार नष्ट कर दिए जावे व जब्तशुदा रूपये 200/– बाद गुजरने मियाद अपील राजकोष मे नियमानुसार जमा करवाये जावे।

प्रकरण में अब कोई कार्यवाही किया जाना शेष नही होने से पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति दाखिल दफतर की जावे।

न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सांगोद जिला कोटा

Authenticated Document

NAVEEN DANDORIYA
Steno III
"Authenticate document"
Digitally signed by NAVEEN DANDORIYA
Date: 2026.05.27 13:29:14 +0530

Authenticated Document